

# राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या : 369 / 2016 / ..... जिला : जयपुर  
 मैसर्स बालाजी लाईफ स्टार्फ्लॉट टैक्लॉनोली प्रा.लि.जयपुर बनाम सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवचन, राजस्थान  
 वृत्—प्रथम, जयपुर व अपीलीय प्राधिकारी—द्वितीय, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
03.03.2016	<p style="text-align: center;"><u>खण्डपीठ</u>  <u>श्री सुनील शर्मा, सदस्य</u>  <u>श्री मनोहर पुरी, सदस्य</u></p> <p>अपीलार्थी की ओर से श्री पंकज धीया, अभिभाषक एवं विभाग की ओर से उपराजकीय अभिभाषक श्री डी.पी.ओझा उपस्थित।</p> <p>अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से यह अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र अपीलीय अधिकारी—द्वितीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे “अपीलीय अधिकारी” कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.01.2016, जो कि राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003(जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की 82 के तहत पारित किया गया है, के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। उक्त आदेश में अपीलीय अधिकारी द्वारा वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवचन, राजस्थान, वृत्—प्रथम, जयपुर (जिसे आगे “निर्धारण अधिकारी” कहा गया है) द्वारा पारित कर निर्धारण आदेश दिनांक 29.06.2015, जो अधिनियम की धारा 24, 25, 55 व 61 के तहत निर्धारण वर्ष 2012–13 के लिये पारित किया गया है, में कर 47,62,195/- व्याज रु. 15,71,615/- व शास्ति रु.95,24,390/- कुल रु. 1,58,58,200/- की मांग सृजित की गई है, में अपीलीय अधिकारी ने आरोपित शास्ति को अपास्त करते हुए कर एवं व्याज को यथावत रखा है। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यथावत रखे गये कर व व्याज कुल रु. 63,33,810/- की वसूली को स्थगित करने का निवेदन किया है।</p> <p>उभय पक्षीय की बहस पर मनन किया गया एवं दोनों अवर अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों अध्ययन किया गया एवं बहस के दौरान बताये गये न्यायिक दृष्टान्तों पर मनन किया गया। हस्तगत प्रकरण में आलोच्य अवधि में बिक्रीत माल मोबाइल/लेपटॉप एवं टेबलेट के विक्रय साथ चार्जर, पावर कॉर्ड एवं लैपटॉप बैकपेक की बिक्री पर व्यवहारी ने 5 प्रतिशत की दर से वैट वसूल करके राजकोष में जमा कराया है जबकि कर निर्धारण अधिकारी ने राजस्थान वैट अधिनियम के शिड्यूल पंचम के अनुसार 14 प्रतिशत की दर कर योग्य मानकर 9 प्रतिशत की दर से अन्तर कर आरोपित किया है। हस्तगत प्रकरण में कर दर का प्रश्न निहत है। लिहाजा, अपील के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना अपीलाधीन आदेश के अन्तर्गत वसूली राशि अर्थात् कर बोर्ड के समक्ष स्थगन हेतु आवेदित राशि रु. 63,33,810/- के सम्बन्ध में कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष उनके सन्तोष के अनुरूप समुचित जमानत (Adequate Security) प्रस्तुत करने की शर्त पर, स्थगन हेतु आवेदित राशि की वसूली की कार्यवाही को आगामी तारीख पेशी तक स्थगित रखा जाता है। उक्त आदेश की पालना के अभाव में, रोक आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी समझा जावेगा। प्रकरण से सम्बन्धित तहत का रिकार्ड अविलम्ब मंगवाया जाये। मिसल वास्ते बहस दिनांक 06.05.2016 को डी.बी.के समक्ष पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">निर्णय सुनाया गया      २०३/२०१६      (मनोहरपुरी) ०५/३/२०१६      सदस्य</p> <p style="text-align: right;">(सुनील शर्मा)      सदस्य</p>	